न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री बाबूलाल जाट, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2019/02 दायर दिनांक 07.01.2019

वादीगण		प्रतिवादी
1. नानुराम पुत्र इन्द्राराम, 2. गिरधारीराम पुत्र किस्तुराराम, 3. गोविन्दराम पुत्र किस्तुराराम, समस्त जाति जाट, निवासी अलखपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :—

1. श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता व रणजीत बलारा अधिवक्ता वादीनीगण की और से।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 16.07.2019

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व इनके परिवार वालो की खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत पुराने खसरा संख्या 171 रकबा 35.10 बीघा वाके अलखपुरा वादीगण व उसके परिवार वाले लोगो के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल संवत् 2070 से 2073 की वाद के साथ पेश है। वादीगण सरकारी सहायता लेने के लिये ऋण वास्ते फाईल बनाने पटवारी हल्का के पास जमाबंदी की वर्तमान में दिनॉक 14.11.2018 को लेने पर जानकारी हुई कि खसरा संख्या 171 रकबा 35.10 बीघा के नये नम्बर 564 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह, खसरा संख्या 565 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 566 रकबा 0.0400 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह व खसरा संख्या 567 रकबा 5.6700 हैक्टेयर चाही बना दिये है तथा इस खसरा संख्या 567 के बीच में से पुराने खसरा संख्या 172 जिसके नये खसरा संख्या 468 की दक्षिण सीमा तक राजस्व रेकर्ड के नक्शा में अंकन भी कर दिया गया है। जमाबन्दी की नकल व नकल नक्शा ट्रैश

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

किश्तवार साथ में पेश है। पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त खेत के नये नम्बर व डोट डोट गलत अंकन भूप्रबन्ध विभाग सीकर द्वारा करना बताया जो गैर कानूनी व नियम विरूद्व कार्य है। क्योंकि भूप्रबन्धक की कार्यवाही में नये खसरा संख्या 565 बताया है वहाँ पर कोई मकान या ढाणी नहीं है तथा न ही सिंचित भूमि है जबकि खसरा संख्या 565 ढाणी होना बतायी है। तथा सिंचित भूमि भी नहीं है। तथा पिछले 60 वर्षो से भी अधिक समय से खसरा संख्या 171 में कभी भी कोई रास्ते का या पगड़डी का या अन्य डोट – डोट किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं रहा इसके बावजुद सहवन से राजस्व ट्रैस नक्शा में नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, पर डोट डोट अंकन कर दिया जो हटाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जानी न्यायोचित है। वादीगण की खातेदारी, कब्जा काश्त व बंट की खसरा संख्या 171 की भूमि में से डोट डोट अंकन बिना इस खेत के खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये व बिना इनकी स्वीकृति के रास्ता कायम करने की कुचेष्टा करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। तथा नया रास्ता कायम करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही करके नियमानुसार रास्ते की भूमि की राशि जमा कराने पर ही रास्ते की कार्यवाही की जा सकती है। बिना खातेदारो की स्वीकृति के इस प्रकार डोट डोट अंकन किया जाना गैर कानूनी है। नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी डोट डोट गलत अंकन किया है उस जगह पर कभी भी रास्ता नहीं रहा और न वर्तमान में है तथा रास्ते के कोई आलामात भी नहीं है। इसलिये यह अंकन है तथा डोट डोट अंकन रास्ता होने का भी प्रतीक नहीं है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी का खतोनी की नकल प्रदर्श –1 है, ट्रैस नक्शा प्रदर्श –2 है, ट्रैस नक्शा प्रदर्श –3 है, खतौनी की नकल प्रदर्श –4 है, नजरी नक्शा प्रदर्श –5 है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त हुयी, जिसमें उल्लेख किया गया है कि खसरा संख्या 567 में मौके पर कोई रास्ता मौजुद नहीं है, न ही कोई अलामात है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वादीगण वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद अलखपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 567 में से राजस्व नक्शा में से गलत अंकन डोट डोट को हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

(बाबूलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **16.07.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री बाबुलाल जाट, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **02/2019** दायर दिनाँक **07.01.2019**

वादीगण		प्रतिवादी
1. नानुराम पुत्र इन्द्राराम, 2. गिरधारीराम पुत्र किस्तुराराम, 3. गाविन्दराम पुत्र किस्तुराराम, समस्त जाति जाट, निवासी अलखपुरा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

दिनाँक **16.07.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा, वकील, वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद अलखपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 567 में से राजस्व नक्शा में से गलत अंकन डोट डोट तथा वादीगण के नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए से बी को हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.....................–..................
..खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **16.07.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

(बाबुलाल जाट)
सहायक कलक्टर,
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

(बाबूलाल जाट)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner